संख्या-404/2025/आई/1103456/23-1-25/005-23-1002(002)/33/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 27 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 27 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 27 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 51,69,90,000/- (रूपये इक्यावन करोड़ उनहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	16412/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	18-09-2025
2	16417/CE-HQ1/RSN5054/GKP/2025-26	18-09-2025
3	16418/CE-HQ1/RSN5054/MBD/2025-26	18-09-2025
4	16421/CE-HQ1/RSN5054/BAR/2025-26	18-09-2025
5	16422/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	18-09-2025
6	16423/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	18-09-2025
7	16432/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	18-09-2025
8	16484/CE-HQ1/RSN5054/VNS/2025-26	19-09-2025
9	16487/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2025-26	19-09-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
10	16489/CE-HQ1/RSN5054/LKO/2025-26	19-09-2025
11	16490/CE-HQ1/RSN5054/ADY/2025-26	19-09-2025
12	16493/CE-HQ1/RSN5054/BAS/2025-26	19-09-2025
13	16497/CE-HQ1/RSN5054/MIR/2025-26	19-09-2025
14	16508/CE-HQ1/RSN5054/AGR/2025-26	19-09-2025
15	16510/CE-HQ1/RSN5054/KNP/2025-26	19-09-2025
16	16513/CE-HQ1/RSN5054/MRT/2025-26	19-09-2025
17	16514/CE-HQ1/RSN5054/JHA/2025-26	19-09-2025
18	16519/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2025-26	19-09-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-2 गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में जगदीशपुर सरैया ब्लॉक होते हुए देवरिया 04 लेन तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	728 /2024/आई/835977 /23-1-24 /001-23-1002(002)/207/2024 -दिनांक-28-12-2024	2483.92 2483.92 1472.10 25.74 2458.18	858.61	1599.57	380.00
2	प्रा.ख. कुशीनगर	राजाराम मिश्र मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/503772/23-1-24/001-23-1002 (002)/39 /2024- दिनांक-23-02-2024	1677.12 1677.12 778.53 170.33 1506.79	1054.75	452.04	168.00
3	नि.ख.-1 शाहजहांपुर	कटरा जलालाबाद मार्ग से कुनिया जमालपुर सम्पर्क मार्ग।	74 /2024/आई/508602 /23-1-24/001-23-1002(002)/47 /2024 पार्ट-1 -दिनांक-29-02-2024	167.90 165.82 134.48 4.30 161.52	75.99	85.53	70.00
4	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	गयारहल्ला फार्म से फरीदपुर की और गन्ना विभाग की तक मार्ग का नव निर्माण का का	320 /2024/150-आरएसएन/23-1-2024/001-05(बी)/आरएसएन-एसएएच/2024- दिनांक-21-08-2024	97.97 97.97 59.68 16.13 81.84	68.58	13.26	6.63
5	नि.ख.-3 बाराबंकी	देवा में देवा सददीपुर मार्ग (अ0जि0जमा0) (लम्बाई 9.750 कि0मी0)	131 /2025/आई/905925 /23-1-25/001-23-	2551.31 2551.31 1040.88	963.87	1499.87	280.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		के किमी 0.000 से 9.750 तक में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1002(002)/67/2025 -दिनांक-12-03-2025	87.57 2463.74			
6	प्रा.ख. बाराबंकी	कोठी औशानेश्वर हैदरगढ़ मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 7.824 तक सुदृढ़ीकरण का कार्य।	666/2024/आई/816052/23-1-24/001-23-1002(002)/197/2024-दिनांक-06-12-2024	867.96 867.96 457.00 175.00 692.96	429.84	263.12	157.87
7	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकर नगर में महरूआ मिझौडा यादवनगर मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	297 /2024/आई/709126 /23-1-2024/001-23-1002(002)-138/2024 -दिनांक-02-08-2024	2492.29 2492.29 1400.22 510.82 1981.47	993.65	987.82	320.00
8	प्रा.ख. अम्बेडकर नगर	अकबरपुर गौहनिया मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 7.000 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	350/2024/154-आरएसएन/23-1-2024/001-05(एस)/आरएसएन-सीओएम/2024-दिनांक-24-08-2024	796.73 796.73 455.25 212.48 584.25	276.95	307.30	150.00
9	नि.ख. अमेठी	सेमरौता कठौरा मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	955 /2023/आई/402533 /23-1-23/001-23-1002/42/2023 -दिनांक-07-10-2023	3478.24 3478.24 1943.95 574.36 2903.88	2804.51	99.37	99.37
10	प्रा.ख. अमेठी	करथुनी लालगंज दादरा गाजपुर दूबरिया मार्ग के चैनेज 7.200 से 15.000 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	74 /2025/आई/868662 /23-1-25/002-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-31-01-2025	1872.60 1872.60 918.70 25.38 1847.22	760.97	1086.25	320.00
11	प्रा.ख. अमेठी	नेवादा गाजनपुर दुबरिया पूरे पहलवान पलिया मुसाफिरखान मार्ग के चैनेज 5.800 से 6.000 एवं चैनेज 10.300 से चेनेज 11.600 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	74 /2025/आई/868662 /23-1-25/002-23-1002(002)/204/2024-दिनांक-31-01-2025	1137.71 1137.71 317.14 40.96 1096.75	520.03	576.72	180.00
12	प्रा.ख. रायबरेली	रायबरेली प्रा0ख0 कठवारा से नवोदय विद्यालय से	669 /2024/आई/821930 /23-1-24/001-23-	1876.98 1876.98 616.86	473.83	1223.85	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सरगही मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	1002(002)/211/2024 -दिनांक-13-12-2024	179.30 1697.68			
13	प्रा.ख. बिजनौर	बालावली किरतपुर नहटौर चांदपुर फीना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग एम0डी0 170 डबलू) के चैनेज 22.450 से 26.575, 28.450 से 29.725, 41.490 से 54.290 तथा 66.590 से 87.500 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	251 /2023/1559 रासनि /23-1-22/001-29 आरएसएन/2023 दि 09.03.2023-दिनांक-09-03-2023	9560.19 9560.19 5324.93 1926.27 7633.92	7257.20	376.72	226.03
14	प्रा.ख. मेरठ	बहसुमा शाहपुर बटावली (अ0जि0मा0) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	750 /2024/आई/835973 /23-1-24/ 001-23-1002(002)/198/2024 -दिनांक-28-12-2024	657.11 657.11 359.94 122.75 534.36	226.69	307.67	75.00
15	प्रा.ख. मिर्जापुर	मीरजापुर भटौली कछवा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुद्वढ़ीकरण का कार्य	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025 -दिनांक-28-02-2025	1633.40 1633.40 734.78 15.00 1618.40	178.01	1440.39	246.00
16	प्रा.ख. मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बेहड़ा सादात से मेरठ पौड़ी मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	383/140-आरएसएन/23-1-2024/003-05(एस)/आरएसएन-सी0ओ0एम0/2024-दिनांक-03-09-2024	2777.54 2777.54 1496.82 739.90 2037.64	1737.15	300.49	100.00
17	प्रा.ख. गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में एन0एच0-29 (जंगीपुर) से सुभाकरपुर आरीपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	132 /2025/आई/906124 /23-1-25/001-23-1002(002)/173/2024 -दिनांक-12-03-2025	2202.07 2202.07 1224.58 497.44 1704.63	560.70	1143.93	317.40
18	नि.ख.-1 वाराणसी	वाराणसी में रोहनिया से गंगापुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	158 /2025/आई/917399 /23-1-25/001-23-1002(002)/87/2025 -दिनांक-25-03-2025	2029.03 2016.59 998.86 0.50 2016.09	339.32	1676.77	240.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
19	प्रा.ख. झांसी	मऊ गरौठा मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) के चैनेज 0.369 से 11.000 तक में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	121/2025/आई/894682/23-1-25/002-23-1002(002)/28/2025 -दिनांक-28-02-2025	1410.21 1410.21 678.88 252.00 1158.21	545.70	612.51	300.00
20	नि.ख.-1 सीतापुर	महमूदाबाद चीनीमिल मार्ग (अजिमा) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756/23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025- दिनांक-10-02-2025	474.79 474.79 304.97 63.63 411.16	95.83	315.33	120.00
21	प्रा.ख. सुल्तानपुर	करौंदीकला रवनिया मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 9.800 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1069 /2023/आई/456359 /23-1-23/001-23-1002(002)/263/2023 -दिनांक-26-12-2023	2584.88 2584.88 1292.46 629.52 1955.36	1404.95	550.41	270.00
22	प्रा.ख. कन्नौज	जी0एस0एस0टी0 मार्ग के किमी0 7 से गौरियापुर, जलालाबाद, गुगरापुर होते हुये गंगाघाट तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	740 /2024/आई/835992 /23-1-24/ 001-23-1002(003)/1/2024- दिनांक-31-12-2024	1981.31 1898.40 979.12 556.47 1341.93	677.34	664.59	204.00
23	प्रा.ख. जालौन	जनपद जालौन में एट कोटरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का निर्माण कार्य।	72 /2025/आई/868028 /23-1-25/001-23-1002(002)/216/2024-दिनांक-31-01-2025	3371.28 3371.28 1930.88 405.00 2966.28	1274.02	1692.26	246.00
24	प्रा.ख. संतकबीरनगर	मैनसिर मोलनापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	113 /2025/आई/891761 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 -पार्ट-1 दि. 25.02.2025-दिनांक-25-02-2025	2451.07 2451.07 1875.13 15.21 2435.86	1165.86	1270.00	320.00
25	प्रा.ख. मथुरा	शेरगढ़ से दलौता सेही परखम होते हुए देवी आटस तक मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	666/2024/आई/816052/23-1-24/001-23-1002(002)/197/2024-दिनांक-06-12-2024	674.21 674.21 346.91 234.58 439.63	281.63	158.00	81.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
26	प्रा.ख. मैनपुरी	आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग किमी0 1 से 8 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	782 /2024/आई/838168 /23-1-24/001-23-1002(002)/254/2024 दिनंाक 31.12.2024-दिनांक-31-12-2024	1089.91 1089.91 556.59 105.68 984.23	268.47	715.76	120.00
27	नि.ख. मेरठ	रघुनाथ मोदीनगर मार्ग पर स्थित पतला से खानपुर सिवालखास जानी टीकरी रसूलपुर मढी होते हुए रोहटा तक (अजिमा) मार्ग के चैनेज 7.600 से 15.600 तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	93 /2025/आई/876756 /23-1-25/001-23-1002(002)/28/2025 दिनांक 10.02.2025-दिनांक-10-02-2025	1114.95 1114.95 553.57 131.01 983.94	307.75	676.19	72.00
						कुल योग-	**5169.90**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 51,69,90,000/- (रूपये इक्यावन करोड़ उनहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-404/2025/आई/1103456(1)/23-1-25/005-23-1002(002)/33/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।

11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।